कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड शासन

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 291 / 9–2(1) हल्द्वानी दिनांक 01 / 08 / 2023.

सेवा में,

सम्पादक,
1–अमर उजाला, समाचार पत्र।
2–दैनिक जागरण, समाचार पत्र।
3–हिदुस्तान दैनिक, समाचार पत्र।

विषयः– **निविदा प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी की अल्पकालीन निविदा सूचना को अपने दैनिक समाचार–पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम साईज में डी0ए0वी0पी0 की दरों पर दिनांक 02–08–2023 के अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के शारदा राजि अन्तर्गत टनकपुर बैराज नहर के डाउन स्ट्रीम में लगे सिल्ट इंजैक्टर के द्वारा पानी के तेज बहाव में आने वाले रेत, बालू/गाद भारी मात्रा में डाउन स्ट्रीम के दायी पटरी पर (मनिहार गोठ की तरफ) जमा है। क्योंकि उक्त रेत, बालू/गाद नदी से ही आया है एवं वन उत्पाद की श्रेणी में आता है, जिसका विभाग स्तर से निस्तारण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा निम्नानुसार टनकपुर बैराज नहर के डाउन स्ट्रीम के दायी पटरी पर (मनिहार गोठ की तरफ) स्थित रेत/बालू/गाद के दो (2) ढेर, जिसकी मात्रा लगभग 12677.00 घ0मी0 है, के निस्तारण बावत निविदा **दिनांक 12.08.2023** के अपरान्ह 12.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर पोस्ट से आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदा दिनांक 12.08.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे प्रभाग स्तरीय निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा खोलने के दौरान निविदादाता स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। निविदा निरस्तीकरण का सम्पूर्ण अधिकार पूर्ण रूप से प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 11–08–2023 तक कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी से किसी भी कार्य दिवस मे प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वनी के नोटिस बोर्ड/शारदा राजि कार्यालय में अथवा विभागीय वेबसाईट www.forest.uk.gov.in से कर सकते हैं।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अर्नेस्टमनी की धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के क्षेत्रांर्गत शारदा राजि में टनकपुर बैराज नहर के डाउन स्ट्रीम के दायी पटरी पर (मनिहार गोठ की तरफ) स्थित रेत/बालू/गाद के दो (2) ढेर, जिसकी मात्रा लगभग 12677.00 घ0मी0 है, के निस्तारण हेतु।	1,00,000.00	रू0 1000 +18% G.S.T.	कार्यादेश से 20 दिन के भीतर।

भवदीय

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

I.T. cell
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

R S NEGI (Revenue) Baalu, Gaad

C.C. 8.8.2023

Received date
8-8-2023

निविदा की शर्तें

1. निविदा पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर से दिनांक 12-08-2023 की अपराहन् 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 02-08-2023 से दिनांक 11-08-2023 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा के क्रम में कार्य का विवरण/प्राकल्लन व निविदा की समस्त शर्तों/नियमों का भली भांति प्रकार अध्ययन कर लें। उक्त शर्तों का किसी भी कार्य दिवस पर प्रभागीय कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी अथवा राजि कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र जमा करने के उपरान्त निविदा शर्तों की जानकारी न होने विषय का कोई भी तर्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि, वह राजि स्तर से अनुमति उपरान्त रेत,बालू/गाद डम्पिग स्थल, टनकपुर बैराज नहर के डाउन स्ट्रीम के दायी पटरी पर (मनिहार गोठ की तरफ) स्थित रेत/बालू/गाद के दो (2) ढेर का भ्रमण/निरीक्षण कर लें। एक बार निविदा की दर सूचित करने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/बढ़ोत्तरी स्वीकार नहीं की जायेगी।

4. निविदा के साथ रू0 1,00,000.00 (एक लाख) धनराशि यथा नेक जमानत/बयाना धनराशि के रूप में किसी अधिसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक की एफ0डी0आर0 **"प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी"** के पक्ष में निरूपित कर संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. प्रत्येक निविदा दाता निविदा प्रपत्र को भरकर मय संलग्न को सहित एक सील्ड लिफाफे में जो कि **प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी** के नाम सम्बोधित होगा, प्रस्तुत करेगा। इस लिफाफे के शीर्ष पर 'रेत, बालू/गाद के निस्तारण हेतु निविदा' अंकित करना बाध्यकारी होगा।

6. प्रत्येक निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि/समय से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त अथवा आवश्यक अभिलेखों रहित अथवा अपूर्ण निविदा प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे और वह स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

7. ठेकेदार/फर्म द्वारा सम्बन्धित निविदा की दरें उस समय सरकार द्वारा समस्त देयकों जैसे कि- जी0एस0टी0, आयकर आदि करों सहित ही दी जायेगी। निविदादाता निविदा प्रपत्र के उपयुक्त कॉलम में निविदा की धनराशि सूचित करेंगे। यदि किसी निविदादाता द्वारा अंकों व शब्दों में धनराशि स्वीकृत की जाती है तो ऐसी स्थिति में दोनों में से जो अधिक हो, वह दर निविदादाता पर लागू समझी जायेगी।

8. निविदादाता को निविदा की दर निविदा फार्म में एकत्र रेत, बालू/गाद के सम्पूर्ण निस्तारण की धनराशि अंकित करनी होगी एवं नियमानुसार 5% जी0एस0टी0 एवं 2.50% आयकर की धनराशि अलग से देय होगी।

9. निविदादाता को निविदा के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा देय चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा, जो निविदा खोले जाने की तिथि से छः माह पहले का न हो।

10. ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है।

11. यदि निविदा स्वीकार करने की अन्तिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश घोषित होता है तो ऐसी विशेष स्थिति में अगला कार्य दिवस मान्य होगा।

12. ठेकेदार/फर्म निविदा में दी गई अधिकतम दरें कम से कम एक माह के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि उक्त अवधि में ठेकेदार/फर्म को अनुबन्ध के लिए किसी भी समय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सकें।

13. कार्य में यदि कोई विवाद होता है तो निविदादाता को प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी का निर्णय मान्य होगा।

14. प्रत्येक स्वीकृत निविदा हेतु निविदादाता को निविदा में अंकित पते पर डाक द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना कार्य आदेश के रूप में प्रेषित की जायेगी। ऐसे पत्र के निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर निविदादाता को रू0 100/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम पेपर पर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) निस्पादित करना होगा तथा ऐसा न करने पर उसके निविदा की स्वीकृति को समाप्त समझा जायेगी व जमा निविदा प्रति भूति को वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में अपहृत कर लिया जायेगा। उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एग्रीमेन्ट निस्पादन की निर्धारित तिथि से 10 दिन की छूट दी जा सकती है परन्तु इस हेतु रू0 500/- (रू0 पाँच सौ) मात्र प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

15. सफल निविदादाता जिसके पक्ष में निविदा दी गई हो, को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते समय निर्धारित कार्य पूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) संविदा के मूल्य की 5 से 10 प्रतिशत तक जैसा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को उचित लगे जमा करनी होगी। प्रतिभूति की राशि किसी अधिसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से राष्ट्रीय बचतपत्र/बैंक की एफ0डी0आर0 आदि जो कि **"प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी"** के पक्ष में निरूपित

कर संलग्न करना आवश्यक है। यह जमानत धनराशि कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के छहः माह के बाद अवमुक्त की जाएगी।

16. टनकपुर बैराज नहर के डाउन स्ट्रीम में स्थित उपरोक्त रेत/बालू/गाद के निस्तारण हेतु निविदादाताओं को प्रतिपूर्ति धरोवर धनराशि 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र की अधिसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से राष्ट्रीय बचतपत्र/बैंक की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में जमा करना होगा जो प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के नाम निरूपित हो, निविदा के साथ लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकृत नहीं होगी उनकी निविदा प्रतिपूर्ति/धरोहर धनराशि नियमानुसार लौटा जी जायेगी।

17. समय से अनुबन्ध हस्ताक्षरित न करने अथवा बन्धक धनराशि जमा न करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी तथा प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को अधिकार होगा कि वह निविदा प्रतिभूति अथवा बन्धक धनराशि को जब्त कर लें। साथ ही अधोहस्ताक्षरी, कार्य को दूसरे निविदादाता को आंवटित कर सकेंगे (जिनके द्वारा अगली उच्च निविदा दी गई है) तथा इस अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति मूल निविदादाता से की जायेगी। इस प्रकार होने वाले क्षति को भू-राजस्व के रूप में वसूली की जा सकेगी।

18. निविदादाता को 100 रू0 के नोटरी पर यह प्रमाण देना होगा कि उसे अथवा उसकी फर्म को किसी भी विभाग से ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

19. सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद, अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के पश्चात उसकी निविदा प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी।

20. असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिभूति उसकी अन्तिम वैधता अवधि की समाप्ति पर यथाशीघ्र, परन्तु सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा संविदा करने के उपरान्त तीस दिन के अन्तर्गत ही सम्बन्धित निविदादाताओं को लौटा दी जायेगी।

21. निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होते ही एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य का अनुमान व पूर्ण जानकारी अधोहस्ताक्षरी व सम्बन्धित राजि अधिकारी कार्यालय में, किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

22. कार्यादेश में दी गई अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रतिदिन विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

23. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निविदा स्वीकृत धनराशि प्रभाग के पास जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

24. बालू/गाद की निकासी टनकपुर बैराज से करने पर एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, टनकपुर पावर स्टेशन, बनबसा द्वारा यदि पुल/सड़क रखरखाव का कोई शुल्क नियमानुसार लिया जाता है तो निविदादाता को देय होगा।

25. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग,हल्द्वानी को सुरक्षित होगा।

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 291 / तददिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. उप जिलाधिकारी, टनकपुर।
5. प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली, टनकपुर।
6. महाप्रबन्धक, प्रभारी, एन.एच.पी.सी., टनकपुर पावर स्टेशन, बनबसा, जिला चम्पावत
7. प्रभारी आई0टी0सेल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, 85 राजपुर रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. उप प्रभागीय वनाधिकारी नन्धौर/शारदा, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
9. वन क्षेत्राधिकारी, शारदा राजि।
10. प्रभाग स्तरीय समिति- 1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 2. लेखाकार, 3. प्रभारी राजस्व अनुभाग।
11. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

R S NEGI (Revenue) Baalu, Gaad